भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 26
25.11.2024 को उत्तर के लिए

जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना

26. श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव :
श्री केसिनेनी शिवनाथ :
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर्द्रभूमि की पहचान और घोषणा के लिए स्थापित दिशानिर्देश और मानदंड क्या हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में आर्द्रभूमि की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त राज्य में कोई आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन के तहत नामित की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) के तहत बहाल की गई आर्द्रभूमि और झीलों की संख्या कितनी है;

(ङ) उक्त योजना के तहत गत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को जारी की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं का चयन किया गया है और इसकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत 1 फरवरी 1982 से आर्द्रभूमि संबंधी रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। कन्वेंशन के अनुसार, आर्द्रभूमि *"दलदल, पंकभूमि, पीटभूमि या पानी के क्षेत्र हैं, जो चाहे प्राकृतिक हैं, या कृत्रिम हैं, स्थायी या अस्थायी हैं, जिसमें पानी रूका हुआ या बहता हुआ है, ताजा, खारा या नमकीन है, जिसमें समुद्री जल के क्षेत्र शामिल हैं जिनकी गहराई कम ज्वार पर छह मीटर से अधिक नहीं होती है"*।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्य में 23,352 आद्रभूमियाँ हैं। आद्रभूमियों की जिलावार सूची **संलग्न** है।

(ग) आंध्र प्रदेश में 90,100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली कोलेरू झील एकमात्र आर्द्रभूमि है जिसे 19 अगस्त 2008 को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।

(घ) से (च) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) की स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 1987 से 2010 के दौरान कोलेरू झील के संरक्षण और प्रबंधन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक विभिन्न संरक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 249.569 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें पारिस्थितिकी विकास गतिविधियां, पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास, अभयारण्य संरक्षण, संधारणीय संसाधन विकास, आजीविका में सुधार, जन जागरूकता और प्रकृति शिक्षा शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य से एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) प्राप्त नहीं होने के कारण एनपीसीए के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है। एनपीसीए योजना के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू से ही देश भर में 168 आर्द्रभूमियों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 1138.90 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इनमें से 1028.27 करोड़ रुपये की लागत वाली 131 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 110.63 करोड़ रुपये की लागत वाली 37 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है।

अनुलग्नक

"जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना" के संबंध में दिनांक 25 नवंबर, 2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 26 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश राज्य में आर्द्रभूमियों की जिला-वार संख्या का विवरण :

क्र.सं.	**जिले का नाम (आंध्र प्रदेश)**	**आर्द्रभूमि की संख्या**
1.	अन्नामय्या	1438
2.	तिरूपति	2064
3.	चित्तूर	2217
4.	अनंतपुरामु	445
5.	श्री सत्य साई	1349
6.	विशाखापत्तनम	250
7.	विजयानगरम	2263
8.	श्रीकाकुलम	1595
9.	पार्वतीपुरम मनयम	476
10.	अनाकपल्ली	992
11.	अल्लुरि सीताराम राजु	197
12.	कुरनूल	333
13.	वाईएसआर कडापा	571
14.	नंनदयाल	516
15.	बापाटला	597
16.	पलनाडु	460
17.	प्रकासम	992
18.	गुंटूर	335
19.	श्री पोत्ती श्रीरामुलु नेल्लोर	1616
20.	ईस्ट गोदावरी	512
21.	इल्लुरू	1062
22.	काकीनाडा	759
23.	कोनासीमा	458
24.	कृष्णा	706
25.	एनटीआर	356
26.	वेस्ट गोदावरी	793
कुल योग		**23352**